

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II, SECTION 3, SUB SECTION (i)]

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi, the 31st March, 2011

NOTIFICATION

G.S.R. .- In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 217 read with clause (a) of sub-section (1) of section 642 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Particulars of Employees) Rules, 1975, namely:-

1. (1) These rules may be called the Companies (Particulars of Employees) Amendment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Companies (Particulars of Employees) Rules, 1975 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 1A, -
 - (i) in clause (a), for the words "rupees twenty-four lakhs", the words "sixty lakh rupees" shall be substituted;
 - (ii) in clause (b), for the words "rupees two lakhs", the words "five lakh rupees" shall be substituted.
3. In the first proviso to rule 2 of the said rules, -
 - (a) for the words "particulars of employees of companies", the words "particulars of Government Companies and companies" shall be substituted;
 - (b) for the words "rupees twenty four lakhs per financial year or rupees two lakhs per month", the words "sixty lakh rupees per financial year or five lakh rupees per month" shall be substituted.

[F. No. 2/29/1998-CL.V]


(Renuka Kumar)

Joint Secretary to the Government of India

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India vide notification number G.S.R.695 (E), dated the 10th June, 1988 and subsequently amended vide notification numbers G.S.R 288(E), dated the 17th April, 2002 and G.S.R 212(E), dated the 24th March 2004 .

c/c

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय


नई दिल्ली, तारीख: 31st मार्च, 2011

अधिसूचना

सा.का.नि. केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 217 की उपधारा (2क) के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कम्पनी (कर्मियों का विवरण) नियमावली, 1975 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों को कम्पनी (कर्मियों का विवरण) संशोधन नियमावली, 1975 कहा जाएगा।
(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
2. कम्पनी (कर्मियों का विवरण) नियमावली, 1975 (जिसे यहां इसके पश्चात प्रधान नियम कहा जाएगा) में नियम 1क में-
 - (iii) खंड (क) में "चौबीस लाख रुपए" शब्दों को "साठ लाख रुपए" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (iv) खंड (ख) में "दो लाख रुपए" शब्दों को "पांच लाख रुपए" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।
3. उपरोक्त नियमावली के नियम 2 के प्रथम परंतुक में, -
 - (क) "कंपनियों के कर्मियों का विवरण" शब्दों को "सरकारी कंपनियों एवं कंपनियों का विवरण" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (ख) "चौबीस लाख रुपए प्रति वित्त वर्ष या दो लाख रुपए प्रति माह" शब्दों को "साठ लाख रुपए प्रति वित्त वर्ष या पांच लाख रुपए प्रति माह" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा.सं. 2/29/1998-सीएल-V]


(रेणुका कुमार)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

o/c

नोट: प्रधान नियम, भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 695(अ) दिनांक 10 जून, 1988 द्वारा प्रकाशित हुए थे एवं सा.का.नि. 288(अ) दिनांक 17 अप्रैल, 2002 एवं सा.का.नि. 212(अ) दिनांक 24 मार्च, 2004 द्वारा उसमें पश्चातवर्ती संशोधन किए गए थे।